सं. डब्ल्यू-02/0039/2017-डीपीई (मजूरी कक्ष)/एफटीएस-8022

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

****

लोक उद्यम भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
दिनांक: 21 अप्रैल, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के वेतनमान में 01.01.2017 से संशोधन-संशोधित दरों पर आईडीए का भुगतान - के संबंध में।

*****

अधोहस्ताक्षरी को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 तथा अनुलग्नक-III (ख) जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है, का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि **2017 वेतनमान** अपनाने वाले सीपीएसई के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ता **दिनांक 01.04.2025 से संशोधित कर 48.7% कर दिया गया है।**

2. महंगाई भत्ते की उपर्युक्त दर अर्थात 48.7% औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पाने वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू होगी जिन्हें लोक उद्यम विभाग के दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 तथा 07.09.2017 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार संशोधित वेतनमान (2017) की अनुमति दी गई है।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि ऊपर बताई गई बातों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सीपीएसई के ध्यान में लाने के लिए अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करें।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

प्रफुल्ल

(डॉ. पी.के. सिन्हा)
उप-सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालक ।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार ।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

प्रफुल्ल

(डॉ. पी.के. सिन्हा)
उप-सचिव, भारत सरकार